

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट डबलीकला)

1. रोहिताश पुत्र इन्द्राज } जाति जाट निवासीयान डबलीकला तहसील टिब्बी।
2. मांगीलाल पुत्र कुलदीप } -वादीगण

बनाम

1. भालाराम }
2. धर्मपाल } पि० जीतराम जाति जाट निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी।
3. शेराराम }
4. अजयसिंह }
5. विद्यादेवी पुत्री जीतराम पत्नी दीवानसिंह जाति जाट निवासी वार्ड नं० 04, डाबड़ा, हिसार।
6. रुकमादेवी पुत्री जीतराम पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी मिठनपुरा तहसील व जिला सिरसा।
7. विमलादेवी पुत्री जीतराम पत्नी प्रताप जाति जाट निवासी चन्दन नगर, हिसार तहसील व जिला हिसार।
8. धोला पुत्री जीतराम पत्नी देवीराम जाति जाट निवासी मिठनपुरा तहसील व जिला सिरसा।
9. रोशनी पुत्री जीतराम पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी मखो सोरनी तहसील व जिला सिरसा।
10. कमला पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
11. मन्जू पुत्री इन्द्राज पत्नी महावीर जाति जाट निवासी वार्डनं० 02, हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।
12. भागवन्ती पत्नी कुलदीप जाति जाट निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी।
13. सुमन पुत्री कुलदीप पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी मखो सोरनी तहसील व जिला सिरसा।
14. बादो पुत्री कुलदीप पुत्री पत्नी संतलाल } जाति जाट निवासी नेहरावाली ढाणी
15. मथरो पुत्री कुलदीप पत्नी धन्नाराम } निवासी नेहरावाली ढाणी तहसील
16. सन्तोष पुत्री कुलदीप पत्नी सुभाष } रावतसर जिला हनुमानगढ।

-प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर:- 2018/2018

अन्तर्गत धारा:- 88,53 आरटीए

निर्णय दिनांक:- 13.6.2018

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

वादीगण की ओर से सुभाषचन्द्र गर्ग एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से करनैलसिंह एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-


(क)-वादी सं० 1 रोहिताश, वादी सं० 2 मॉंगीलाल, प्रतिवादी सं० 1 भालाराम, प्रतिवादी सं० 2 धर्मपाल, प्रतिवादी सं० 3, शेराराम, प्रतिवादी सं० 4 अजयसिंह ब०हि०ब० चक नं० 12 डीबीएल के खाता सं० 32/108 में अंकित 0.940 है० भूमि।

(ख)-चक नं० 2 आरपी सीएडी रहित के खाता सं० 64/65 में अंकित कुल 2.528 है० में से प्रतिवादी सं० 1 भालाराम को 0.421 है०, प्रतिवादी सं० 2 धर्मपाल को 0.421 है०, प्रतिवादी सं० 3 शेराराम को 0.421 है०, प्रतिवादी सं० 10 कमला को 0.843 है०, तथा प्रतिवादी सं० 12 भागवती को 0.422 है०

(ग)-प्रतिवादी सं० 4 अजयसिंह को चक नं० 12 डीबीएल के खाता सं० 99 के प०न० 188/360 मु० 30 किलानं० 6/.025 किलानं० 7 में चिपते ही, 7/1/.202, 8/1/.076 कुल 0.303 है०

वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 व प्रतिवादी सं० 10,12 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चक नं० 12 डीबीएल के खाता सं० 32/108 में से जीतराम का नाम कलमजन व चक नं० 2 आरपी सीएडी रहित के खाता सं० 64/65 में से विमला, सुमन, अजयसिंह का नाम कलमजन व चक नं० 12 डीबीएल के खाता सं० 99 में से रोहिताश का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 13.6.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत डबली कलां में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


पी.एस.सी. अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी

वाद के खर्चे	वादी	प्रतिवादी	रूपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	1100/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4.रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	1100/-	जोड़	0

